उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या- 04 /2022(835/22)/3/4/35-आ0-2/2021-17
लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2022
कार्यालय ज्ञाप

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 04 माह (अप्रैल से जुलाई) के लेखानुदान हेतु नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 2402- मृदा तथा जल संक्षरण-103- भूमि सुधार तथा विकास-04- राज्य भूमि उपयोग परिषद के अन्र्तगत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू0-28.79 लाख(रू0- अटठाईस लाख उन्यासी हजार मात्र) निम्नलिखित मदवार के अनुसार व्यय करने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या- 40
लेखाशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण (धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवंटित कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह(अप्रैल से जुलाई) हेतु भूमि उपयोग परिषद का लेखानुदान
1	2	3	4
01	वेतन	55.18	18.39
03	मंहगाई भत्ता	20.42	6.81
04	यात्रा व्यय	0.50	-
06	अन्य भत्ते	0.04	0.01
08	कार्यालय व्यय	0.50	0.17
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50	0.17
13	टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.07
15	गाडियो. का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	0.33
42	अन्य व्यय	0.50	0.17
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य	0.10	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	प्रासंगिक व्यय		
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.50	-
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17
49	चिकित्सा व्यय	3.50	1.17
51	वर्दी	0.60	-
55	मकान किराया भत्ता	4.00	1.33
	योग-:	88.04	**28.79**

(रू0- अटठाईस लाख उन्यासी हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 2402- मृदा तथा जल संक्षरण-103- भूमि सुधार तथा विकास-04- राज्य भूमि उपयोग परिषद के अन्र्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सतयापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 04 /2022(835/22)3/4/35-आ0-2/2021-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक29 मार्च, 2022 के संबंध में ।
6- अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।

10- नियोजन अनुभाग-1

11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।